कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर

प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 24.07.2026

थाना खागा पुलिस द्वारा थाना खागा एवं थाना राधानगर क्षेत्र में एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी एवं चोरी करने वाले अन्तर्जनपदीय गिरोह के प्रकाश में आए 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से एटीएम फ्रॉड से प्राप्त ₹3,200 नगद, घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार, 05 एटीएम कार्ड एवं एक माइक्रो सिम बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

1.थाना खागा-

दिनांक 06.07.2026 को वादी श्री सुल्ताना पुत्र सुखबीर निवासी ग्राम एकडला, थाना किशनपुर, जनपद फतेहपुर द्वारा थाना खागा पर लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि दिनांक 16.06.2026 को समय लगभग 16:00 बजे वह आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के एटीएम, खागा से धनराशि आहरित करने हेतु गए थे। उसी दौरान उनके पीछे खड़े दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उन्हें बातों में उलझाकर उनका एटीएम कार्ड बदल लिया गया। इसके उपरांत जब वादी द्वारा पुनः धनराशि निकालने का प्रयास किया गया तो धनराशि आहरित नहीं हुई। इस पर वादी द्वारा एटीएम गार्ड को बुलाया गया, जिसने जांच करने पर बताया कि उनके पास मौजूद एटीएम कार्ड उनका नहीं है। तत्पश्चात वादी द्वारा संबंधित बैंक शाखा में जाकर अपना एटीएम कार्ड तत्काल बंद कराया गया। बैंक स्टेटमेंट प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके खाते से विभिन्न एटीएम के माध्यम से कुल ₹24,500/- की धनराशि धोखाधड़ीपूर्वक आहरित कर ली गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खागा पर मु0अ0सं0 246/2026, धारा 318(4)/303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर नियमानुसार विवेचना प्रारंभ की गई।

2.थाना राधानगर-

दिनांक 14.07.2026 को वादी अमित कुमार पाण्डेय पुत्र शिवशंकर निवासी ग्राम बिलारीमऊ, पोस्ट छिछिनी, जनपद फतेहपुर द्वारा थाना राधानगर पर तहरीर देकर अवगत कराया गया कि दिनांक 08.06.2026 को समय लगभग 12:00 बजे वह राधानगर चौराहे स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से धनराशि निकालने गए थे। उसी दौरान एटीएम में पहले से मौजूद कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने सहायता करने के बहाने उनका एटीएम कार्ड बदल दिया। जब तक उन्हें इस बात का आभास हुआ, तब तक उनके बैंक खाते से अन्य एटीएम मशीन के माध्यम से ₹25,000 की अवैध निकासी कर ली गई। मोबाइल पर निकासी का संदेश प्राप्त होने पर उन्होंने अपना एटीएम कार्ड देखा, जो उनका न होकर बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम कार्ड था, जिस पर फरदीन अबरार खान का नाम अंकित था। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना राधानगर पर मु0अ0सं0 159/2026, धारा 318(4)/303(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:- श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्री अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में वांछित/वारण्टियों की गिरफ्तारी व अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में व श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी खागा के कुशल पर्यवेक्षण में थाना खागा पुलिस द्वारा दिनांक 23.07.2026 को उपरोक्त अभियोगों की विवेचनात्मक कार्यवाही, सुरागसी-पतारसी एवं मुखबिर खास की सूचना पर प्रकाश में आए एक शातिर अभियुक्त राजेन्द्र सिंह उर्फ कल्लू डान पुत्र राम शिरोमण निवासी पुरे खुसई मोहनगंज थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एटीएम फ्रॉड कर चोरी किए गए ₹3,200, घटना में प्रयुक्त एक अदद स्विफ्ट कार, 05 एटीएम कार्ड तथा एक माइक्रो सिम बरामद हुई। बरामदगी एवं पूछताछ पर उक्त अभियोग में धारा 317(2)/3(5) बीएनएस की बढ़ोत्तरी करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को आज दिनांक 24.07.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त राजेन्द्र सिंह उर्फ कल्लू डॉन ने बताया कि वह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर विभिन्न जनपदों में एटीएम कार्ड बदलकर खाताधारकों के साथ धोखाधड़ी करने वाले एक संगठित गिरोह का सदस्य है। गिरोह में कुल लगभग 08 सदस्य हैं, जिनमें से 04-05 सदस्य एक साथ वारदात को अंजाम देने जाते हैं। वह अपनी स्विफ्ट कार से साथियों को लेकर विभिन्न स्थानों पर एटीएम की रेकी करता है तथा उपयुक्त एटीएम चिन्हित कर अपने साथियों को बुलाता है। अभियुक्त ने बताया कि वारदात के दौरान गिरोह के सदस्य सहायता करने के बहाने खाताधारक का वास्तविक एटीएम कार्ड बदलकर उसी प्रकार

का दूसरा कार्ड दे देते हैं तथा खाताधारक द्वारा दर्ज किया गया पिन देख लेते हैं। इसके बाद खाताधारक को एटीएम खराब होने का झांसा देकर वहां से भेज देते हैं और उसके वास्तविक एटीएम कार्ड व ज्ञात पिन का प्रयोग कर निकटवर्ती अन्य एटीएम से धनराशि निकाल लेते हैं। प्राप्त धनराशि का आपस में बंटवारा कर व्यक्तिगत खर्च में उपयोग करते हैं। अभियुक्त ने अपने साथियों के नाम सत्यम सिंह, मनीष सोनी, कपिल वर्मा, दीपक सिंह, सुरेन्द्र चौहान, मनीष सिंह एवं राहुल पाल बताए। थाना राधानगर के मु0अ0सं0-159/2026 तथा थाना खागा क्षेत्र की घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज दिखाए जाने पर उसने राधानगर की घटना में सत्यम सिंह, मनीष सोनी एवं दीपक सिंह तथा खागा की घटना में सुरेन्द्र चौहान एवं मनीष सिंह की संलिप्तता स्वीकार की। अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 16.06.2026 को वह अपनी स्विफ्ट कार से सुरेन्द्र चौहान, मनीष सिंह एवं राहुल पाल के साथ टोल टैक्स से बचते हुए खागा आया था। घटना के समय राहुल पाल निगरानी कर रहा था, जबकि सुरेन्द्र चौहान एवं मनीष सिंह ने एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी की और बाद में दूसरे एटीएम से धनराशि निकाल ली। अभियुक्त स्वयं वाहन के साथ मौके पर मौजूद रहा। अभियुक्त ने स्वीकार किया कि थाना राधानगर की घटना में लगभग ₹25,000/- तथा थाना खागा की घटना में लगभग ₹24,500/- की धोखाधड़ी की गई थी। राधानगर की घटना में उसे ₹5,000/- तथा खागा की घटना में ₹6,000/- हिस्सा मिला था। उसने बताया कि खागा की घटना से प्राप्त धनराशि में से ₹2,800/- खर्च हो चुके थे तथा शेष ₹3,200/- वही धनराशि है, जो पुलिस द्वारा उसकी तलाशी के दौरान बरामद की गई। साथ ही उसने बताया कि अपने साथी कपिल वर्मा की आवश्यकता होने पर उसने अपने हिस्से की धनराशि उसे उधार दे दी थी।

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा प्रकाश में आए अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु संबंधित पुलिस टीमों द्वारा सतत एवं प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. राजेन्द्र सिंह उर्फ कल्लू डान पुत्र राम शिरोमण निवासी पुरे खुसई मोहनगंज थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त राजेन्द्र सिंह उर्फ कल्लू डॉन का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 512/14 धारा 406/417/419/420/467/468/471 भा0द0वि0 थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ

2.मु0अ0सं0 285/15 धारा 406/411/420 भा0द0वि0 थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर फतेहपुर

3.मु0अ0सं0 452/20 धारा 419/420 भा0द0वि0 व 65/66(C)/66(D) आई0टी एक्ट थाना कोतवाली सिटी जनपद प्रतापगढ

4.मु0अ0सं0 125/21 धारा 2/3 गैगेस्टर अधि0 थाना कोतवाली सिटी जनपद प्रतापगढ

5.मु0अ0सं0 290/22 धारा 147/323/341/504/506 भा0द0वि0 व 3((1)द/3(1)ध/3(2)VA एससी एसटी एक्ट थाना कोतवाली सिटी जनपद प्रतापगढ

6.मु0अ0सं0 66/22 धारा 3/25 थाना कोतवाली सिटी जनपद प्रतापगढ

7.मु0अ0सं0 218/23 धारा 418/419/420/427/467/468/471/504/506 भा0द0वि0 थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ

8.मु0अ0सं0 246/26 धारा 318(4)/303(2)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना खागा जनपद फतेहपुर

9.मु0अ0सं 159/26 धारा धारा 318(4)/303(2) बीएनएस थाना राधानगर जनपद फतेहपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 गिरीश दूबे चौकी प्रभारी कस्वा थाना खागा फतेहपुर
2. उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह चौकी प्रभारी मझिलगांव थाना खागा फतेहपुर
3. उ0नि0 बन्शीधर राय चौकी प्रभारी महिचा मन्दिर थाना खागा फतेहपुर
4. हे0का0 आत्माराम मिश्रा
5. का0 बन्टी
6. का0 मधुव्रत

सोशल मीडिया सेल

जनपद फतेहपुर